सं0-62/2024//001-975-23-12-2024-23-12099-099-17-2024

प्रेषक,

रिपुन्जय गुप्ता,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊ: दिनांक 01 अक्टूबर, 2024**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-25 में एशियन विकास बैंक के ऋण से सहायतित परियोजना के अन्तर्गत 01 चालू कार्य पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियनता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-4404/सीई-एचक्यू1/एडीबी/डब्लूबी/2023-24, दिनांक 18.05.2023, पत्र सं0-4224/ सीई-एचक्यू1/एडीबी/डब्लूबी/2023-24, दिनांक 08.05.2023, पत्रांक-7383/ सीई-एचक्यू1/एडीबी/डब्लूबी/2023-24, दिनांक 13.01.2024, पत्रांक- 7815/सीई-एचक्यू1/एडीबी/डब्लूबी/2023-24, दिनांक 26.02.2024 तथा पत्रांक-7843/ सीई-एचक्यू1/एडीबी/डब्लूबी/2023-24, दिनांक 29.02.2024 के क्रम में निर्गत शासनादेश सं0- 19/2024//001-233-23-12-2024-23-12099-099-17-2024, दिनांक 06.03.2024 की तालिका के क्रमांक-2 पर अंकित कार्य हेतु रू0 0.60 लाख की आवंटित धनराशि से सम्बन्धित आदेश को अवक्रमित करते हुए मुख्य अभियन्ता, वाहय सहायतित परियोजना, लो0नि0वि0 लखनऊ के पत्र सं0-796ईएपी/01/सीईईएपी/पीपीपी/मिसलेनियस/2022, दिनांक 30.05.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अग्रतालिका में अंकित विवरण के अनुसार रू0 0.60 लाख (रूपये साठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	परियोजना के मूल स्वीकृति का शासनादेश/दिनांक	स्वीकृत लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	विश्व बैंक खण्ड-1, लखनऊ	एशियन विकास बैंक के ऋण से सहायतित उ0प्र0 प्रमुख जिला मार्ग परियोजना के अंतर्गत परियोजना क्रियान्वयन इकाई में वित्तीय प्रबंधन फर्म, व्यक्तिगत पर्यावरणीय एवं व्यक्तिगत सामाजिक कंसल्टेंट्स की नियुक्ति का कार्य (Consultancy)	1174/23-12-18-700ए0डी0बी0/14, दिनांक 07.06.2018	129.41	99.53	**0.60**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 सपठित कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(4) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगें कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य किसी कार्य योजना में सम्मिलित है।

(5) एशियन विकास बैंक के ऋण से प्रस्तावित चालू कार्यों पर धनराशि की मांग हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्ताव के साथ सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता से मार्ग निर्माण की निरीक्षण रिपोर्ट तथा निर्माणाधीन मार्गों के अद्यतन फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराया जाय।

(6) विभाग द्वारा एशियन विकास बैंक की गाइड लाइन्स तथा भारत सरकार की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(7) प्रकरण में अन्य प्रर्वतीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उपरोक्त तालिका में अंकित कार्य के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(10) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष /मुख्य अभियन्ता (मु0-1)/मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी।

(11) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(12) उक्त कार्यों पर होने वाले व्यय की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर शासन एवं विश्व बैंक को भेजी जायेगी तथा उक्त कार्य के पूरा होने के उपरान्त लेखापरीक्षा कराकर विधिवत पूर्णता प्रमाण पत्र शासन एवं एशियन विकास बैंक को प्रेषित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 60,000 (रुपये साठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054053379703 एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उ0प्र0 मुख्य जिला सड़क विकास परियोजना के डी0पी0आर0 हेतु एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रिपुन्जय गुप्ता)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-62/2024//001-975-23-12-2024-23-12099-099-17-2024 तददिनांक।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।

4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।

5- वित्त नियन्त्रक,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

6- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

7- मुख्य अभियन्ता(मु0-1)/वाहय सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0 लखनऊ ।

9- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0 लखनऊ।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8

12- लोक निर्माण अनु0-10

13- डाटा सेल, नवीन भवन सचिवालय, उत्तर प्रदेश शासन।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रिपुन्जय गुप्ता)

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।